केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या (सीईएन संख्या) - 08/2026 (स्टेशन मास्टर)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 01	सीईएन 08/2026 के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे?
उत्तर	आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27-10-2026 है।
प्रश्न 02	सीईएन 08/2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर	ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25-11-2026 रात्रि 23: 59 बजे है।
प्रश्न 03	जमा किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर	जमा किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 27-11-2026 है।
प्रश्न 04	आवेदन में संशोधन की तिथियाँ क्या हैं?
उत्तर	आवेदन में संशोधन की विंडो केवल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद खोली जाएगी और 28-11-2026 से 07-12-2026 तक सक्रिय रहेगी। यदि अभ्यर्थी 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरी गई जानकारी जिसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शामिल हैं तथा चयनित आरआरबी (Chosen आरआरबी) को छोड़कर किसी अन्य विवरण में संशोधन, परिवर्तन या सुधार करना चाहते हैं, तो वे प्रत्येक बार ₹250/- (गैर-वापसी योग्य) का संशोधन शुल्क जमा करके ऐसा कर सकते हैं।
प्रश्न 05	आवेदन करने के लिए पात्र आयु क्या है?
उत्तर	आयु पात्रता संबंधी मानदंडों के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 8 देखें।
प्रश्न 06	आयु की गणना के लिए निर्णायक तिथि क्या है?
उत्तर	आयु की गणना के लिए निर्णायक तिथि 01.01.2027 है। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 8 देखें।
प्रश्न 07	स्टेशन मास्टर के पद के लिए पोस्ट मानदंडों (यानी, शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सा मानक और पद के लिए उपयुक्तता) क्या हैं?
उत्तर	पद संबंधी मानदंडों के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के Annexure-A का संदर्भ लें।
प्रश्न 08	मेरे अंतिम परिणाम 25/11/2026 के बाद आने की संभावना है। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	नहीं। जिन अभ्यर्थियों के निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (25/11/2026) तक लंबित हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। अभ्यर्थियों के पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता होना अनिवार्य है।
प्रश्न 09	शुल्क में छूट के लिए कौन-कौन पात्र हैं
उत्तर	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन शुल्क में रियायत के पात्र हैं। कृपया सीईएन के पैरा 10 (क्रम संख्या 2) का संदर्भ लें।
प्रश्न 10	आवेदन कैसे करें?
उत्तर	आवेदन करने की प्रक्रिया के विस्तृत विवरण के लिए कृपया पैरा 16 देखें। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी सूचनाओं एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
प्रश्न 11	क्या हम मोबाइल का उपयोग करके खाता बना सकते हैं और आवेदन भर सकते हैं?

उत्तर	हाँ, वेब ब्राउज़र का उपयोग करके स्मार्टफोन से आवेदन भरा जा सकता है। हालांकि, आवेदन मॉड्यूल की कुछ सुविधाएँ मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए बेहतर अनुभव के लिए अभ्यर्थियों को डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
प्रश्न 12	'खाता बनाये' के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं?
उत्तर	अभ्यर्थियों के पास भर्ती प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान सभी प्रकार के संचार के लिए अपना स्वयं का सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना अनिवार्य है, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ सभी सूचनाओं का आदान-प्रदान केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से किया जाएगा।
प्रश्न 13	मैंने रेलवे की पिछली सीईएन के लिए पहले से ही एक खाता बनाया हुआ है। क्या मुझे सीईएन 08/2026 के लिए नया खाता बनाना होगा?
उत्तर	यदि किसी अभ्यर्थी ने वर्ष 2024/2025/2026 में प्रकाशित किसी सीईएन के लिए पहले से खाता बनाया हुआ है, तो उसे उसी खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करके इस सीईएन (अर्थात् सीईएन सं. 08/2026) के लिए भी लॉगिन कर आवेदन करना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ने पहले कभी खाता नहीं बनाया है, तो उसे इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले 'खाता बनाए' करना अनिवार्य है।
प्रश्न 14	'खाता बनाए' करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर	यदि अभ्यर्थी ने अभी तक खाता नहीं बनाया है, तो उसे सबसे पहले अपना खाता बनाना होगा। इसके लिए आवेदन लिंक के होम पेज पर "अप्लाई" टैब पर क्लिक करें, फिर 'खाता बनाए' पर क्लिक करें। इसके बाद ऑनलाइन 'खाता बनाए' फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें तथा एक पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, विशेष चिन्ह तथा अंक का संयोजन होना चाहिए। खाता सफलतापूर्वक बनने के बाद अभ्यर्थी को पुष्टि हेतु एसएमएस एवं ईमेल प्राप्त होगा।
प्रश्न 15	क्या मैं 'सीईएन आवेदन' के विवरण में संशोधन कर सकता/सकती हूँ
उत्तर	'खाता बनाए' फॉर्म में भरी गई जानकारी खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं की जा सकती।
प्रश्न 16	यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है, तो मुझे कौन सा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा?
उत्तर	अभ्यर्थियों के पास नाम परिवर्तन के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य वैध कानूनी दस्तावेज़ होना अनिवार्य है और इसे सीबीटी, सीबीएटी एवं डीवी के समय प्रस्तुत करना होगा। नाम परिवर्तन की तिथि या नाम परिवर्तन के लिए आवेदन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को 'खाता बनाते' समय अपना मूल नाम और बदला हुआ नाम दोनों भरना होगा। ऐसे मामलों में आवेदन पत्र में दोनों नाम प्रदर्शित होंगे।
प्रश्न 17	डिजिलॉकर /आधार सत्यापन की आवश्यकता क्यों है?
उत्तर	अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु डिजिलॉकर/आधार सत्यापन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सीबीटी एवं सीबीएटी के दौरान अभ्यर्थिता की वास्तविकता सुनिश्चित करने और प्रतिरूपण को रोकने के लिए भी यह आवश्यक है। आरआरबी, आधार से संबंधित विवरण को किसी भी तृतीय पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा और न ही इस सीईएन के उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करेगा। यदि अभ्यर्थी अपनी पहचान एवं अन्य प्राथमिक विवरणों का सत्यापन किसी वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के माध्यम से करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी अधिक कड़ी एवं विस्तृत जांच की जाएगी।
प्रश्न 18	'खाता बनाए' के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर	अकाउंट बनाने के बाद, आरआरबी क्रेडेंशियल्स या आधार क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके https://www.rrbapply.gov.in पोर्टल पर आवेदन में लॉगिन करें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में पांच मुख्य सेक्शन हैं: पर्सनल डिटेल्स, अन्य डिटेल्स, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, और प्रीव्यू व प्राथमिकता और सबमिट करना। "अकाउंट बनाएं" चरण में दी गई जानकारी आवेदन में पहले से भरी हुई दिखेगी और इसे बदला नहीं जा सकेगा। पर्सनल डिटेल्स से शुरुआत करते हुए सभी जानकारी भरें। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद, सेव करें और अगले सेक्शन पर जाएं। इसी तरह आखिरी सेक्शन यानी प्रीव्यू व प्राथमिकता और सबमिट करने तक आगे बढ़ें, जहां कैंडिडेट पेमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आखिरकार सबमिट कर सकता है। फीस पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कैंडिडेट को आरआरबी से ईमेल और एसएमएस के ज़रिए पेमेंट सफल होने का कन्फर्मेशन मिलेगा। इसके बाद, कैंडिडेट पंजीकरण संख्या वाले सबमिट किए गए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकता है। ध्यान दें: जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही 2024 के आरआर नोटिफिकेशन्स के लिए अप्लाई किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सीईएन के लिए अप्लाई करते समय आवेदन मॉड्यूल के पर्सनल डिटेल्स, अन्य डिटेल्स और शैक्षणिक डिटेल्स वाले पेजों पर अपने पहले से सेव किए गए डेटा से जानकारी की सही-सही जांच कर लें और फिर पेमेंट के लिए आवेदन सबमिट करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। 'अकाउंट बनाएं' फ़ॉर्म में भरी गई जानकारी (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की तारीख, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार ई-केवाईसी डिटेल्स जिसमें चुना गया आरआरबी भी शामिल है) को बदला नहीं जा सकता है।
प्रश्न 19	लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर	आवेदन लिंक के 'होम' पेज पर जाएं। अप्लाई टैब के अंदर, ड्रॉप-डाउन मेनू से “आलरेडी हेव एन अकाउंट”' चुनें। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या आधार की जानकारी और उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा डालकर अपने अकाउंट में प्रवेश करें करें और फिर लॉगिन करें।
प्रश्न 20	यदि मैं अपने खाते में लॉगिन करने का पासवर्ड भूल जाऊँ, तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर	लॉगिन पोर्टल के “अपने अकाउंट में प्रवेश करें करें” पेज पर “‘पासवर्ड भूल गए’ विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर और अपनी जन्मतिथि डालें। नया पासवर्ड कैंडिडेट की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे गए नए पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा।
प्रश्न 21	रिक्तियों का विवरण कहाँ उपलब्ध है?
उत्तर	आरआरबी-वार रिक्तियों का विवरण Annexure-B में उपलब्ध है।
प्रश्न 22	लाइव छायाचित्र अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर	विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन 08/2026 के पैरा 16.5 का संदर्भ लें।
प्रश्न 23	मैं आवेदन शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। सभी लागू सेवा शुल्क आवेदन शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे। भुगतान करते समय भुगतान के माध्यम की प्रामाणिकता तथा इस सीईएन के लिए ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय का विशेष ध्यान रखें। अनाधिकृत वेबसाइटों से बचें।
प्रश्न 24	हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है? किस प्रकार के हस्ताक्षर अपलोड किए जाने चाहिए?

उत्तर	अभ्यर्थियों को अपने हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार अपलोड करनी होगी— हस्ताक्षर केवल अभ्यर्थी द्वारा ही किए गए होने चाहिए। सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन का उपयोग करें। हस्ताक्षर प्रवाहयुक्त हस्तलिपि (अर्थात कर्सिव/जुड़े हुए अक्षर) में होने चाहिए। बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स या अलग-अलग अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हस्ताक्षर स्पष्ट, पढ़ने योग्य तथा स्कैन किए गए क्षेत्र के भीतर पूर्ण रूप से दिखाई देने चाहिए। हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश: हस्ताक्षरित कागज को न्यूनतम 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन पर स्कैन करें। इमेज फ़ाइल प्रारूप: केवल जेपीजी/जेपीईजी फ़ाइल आकार: 30 केबी से 49 केबी के बीच इमेज आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई) स्कैन किया गया हस्ताक्षर आवेदन पत्र में निर्धारित स्कैन बॉक्स के भीतर होना चाहिए। बॉक्स का आकार 50 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई) है। हस्ताक्षर की छवि इस बॉक्स के मध्य में होनी चाहिए। हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत होने के आधारों की जानकारी के लिए कृपया पैरा 16.6(c) का संदर्भ लें।
प्रश्न 25	मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंतिम रूप से जमा हो गया है? क्या मैं उसका प्रिंटआउट ले सकता/सकती हूँ?
उत्तर	ऑनलाइन आवेदन को अस्थायी रूप से स्वीकार किया जाना केवल आरआरबी के स्तर पर आवेदन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद ही होगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी को ईमेल और/या एसएमएस के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी। पुष्टि प्राप्त होने के बाद अभ्यर्थी आवेदन का प्रिंटआउट ले सकता/सकती है
प्रश्न 26	मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और मेरा ई-प्रवेश पत्र भी जारी हो गया है। क्या इसका अर्थ है कि मुझे भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए स्वीकार कर लिया गया है?
उत्तर	भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश केवल अस्थायी होगा तथा यह इस शर्त के अधीन होगा कि अभ्यर्थी सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। केवल ईकॉल लेटर जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि आरआरबी द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों के लिए स्वीकार कर लिया गया है। सीबीटी के समय अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देने से पूर्व उसके फोटो एवं हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता एवं वास्तविकता का अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों, जैसे सीबीएटी, चिकित्सा परीक्षण तथा दस्तावेज़ सत्यापन) के दौरान भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं अभिलेखों की प्रामाणिकता का सत्यापन किया जाएगा।
प्रश्न 27	भर्ती प्रक्रिया के चरण कौन-कौन से हैं और मुझे इनके कार्यक्रम की जानकारी कैसे प्राप्त होगी?
उत्तर	इसमें सिंगल स्टेज कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा (सीबीएटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा परीक्षण (एमई) शामिल हैं। सीबीटी के शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी योग्य उम्मीदवारों को समय आने पर आरआरबी की वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के ज़रिए दी जाएगी। किसी भी स्थिति में सीबीटी के किसी भी स्टेज को टालने या वेन्यू, तारीख और शिफ्ट बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 28	सीईएन 08/2026 में कितने वेतन स्तर हैं?
उत्तर	सीईएन 08/2026 में केवल एक वेतन स्तर लेवल-6 है।
प्रश्न 29	क्या मैं एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए किए गए आपके सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा आपको आरआरबी एवं आरआरसी की भविष्य की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
प्रश्न 30	एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्लूएस श्रेणी का दावा करने के लिए निर्णायक तिथि क्या है?

उत्तर	इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्लूएस श्रेणी की स्थिति ही आरक्षण एवं उससे संबंधित लाभों के लिए पात्रता के अनुसार मान्य होगी। इसके बाद श्रेणी की स्थिति में होने वाले किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 11 (लंबवत आरक्षण) का संदर्भ लें। एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्लूएस के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास वैध जाति/समुदाय प्रमाणपत्र उपलब्ध हो। DV के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, यानी 25.11.2026 को वैध हो।
प्रश्न 31	क्या राज्य की ओबीसी सूची में शामिल अभ्यर्थी ओबीसी -एनसीएल आरक्षण के पात्र हैं?
उत्तर	जो ओबीसी राज्य की सूची में तो हैं लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं, वे आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं।(नवीनतम सूची के अनुसार http: //www.ncbc.nic.in)
प्रश्न 32	ईडब्लूएस के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने की पात्रता क्या है?
उत्तर	विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 11.11 का संदर्भ लें।
प्रश्न 33	मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में कार्यरत हूँ। क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	जो अभ्यर्थी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, उन्हें Annexure-VII के अनुसार " सेवा से कार्यमुक्त होने की संभावित तिथि के साथ रोजगार प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनुलग्नक VII(ए) के अनुसार स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
प्रश्न 34	मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल सेवा प्राप्त कर ली है। क्या मैं इस सीईएन के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक लाभों का पात्र हूँ?
उत्तर	विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 13.1 से 13.6 का संदर्भ लें।
प्रश्न 35	दस्तावेज़ सत्यापन के समय किन अभ्यर्थियों को एनओसी प्रस्तुत करनी होगी?
उत्तर	रेलवे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में काम कर रहे उम्मीदवार (जिनमें इंडक्शन ट्रेनिंग/प्रोबेशन पर चल रहे उम्मीदवार भी शामिल हैं) अपने नियोक्ता को सूचित करके सीधे आरआरबी में आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तारीख पर नियोक्ता से एनओसी जमा करना होगा; ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनल में शामिल किए जाने/नियुक्ति के समय तय समय-सीमा के भीतर अपने मौजूदा नियोक्ता से एनओसी जमा करना पूरी तरह से उम्मीदवार की ज़िम्मेदारी है; ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनल में शामिल किए जाने/नियुक्ति को अस्वीकार और रद्द कर दिया जाएगा। कृपया नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 14 को देखें।
प्रश्न 36	आवेदन जमा करने के बाद मैंने केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में नौकरी ज्वाइन कर ली है। क्या मुझे दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत करना होगा?
उत्तर	हाँ। अगर आपने आवेदन जमा करने के बाद किसी सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नौकरी जॉइन की है, तो आपको डीवी के समय एनओसी दिखाना होगा; ऐसा न करने पर आपकी उम्मीदवारी/एम्पैनलमेंट रद्द कर दी जाएगी।
प्रश्न 37	आवेदन में, शैक्षिक योग्यता वाले पेज पर केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य योग्यताएं कैसे जोड़ू ?

उत्तर	'ऐड' बटन पर क्लिक करें, क्वालिफ़िकेशन की जानकारी भरें और फिर से 'ऐड' बटन पर क्लिक करें।
प्रश्न 38	यदि मेरे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में केवल उत्तीर्ण होने का माह एवं वर्ष अंकित है, तो आवेदन में कौन-सी तिथि दर्ज करूँ?
उत्तर	यदि 10वीं के प्रमाणपत्र में तिथि अंकित नहीं है, तो प्रमाणपत्र में उल्लिखित माह की अंतिम तिथि दर्ज करें। उदाहरण के लिए, यदि प्रमाणपत्र में अप्रैल-2025 अंकित है, तो आवेदन में 30-04-2025 दर्ज करें।
प्रश्न 39	कुल कितने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे?
उत्तर	उम्मीदवारों को सीईएन में बताए गए निर्देशों के अनुसार जेपीजी/जेपीईजी फ़ॉर्मेट में अपने हस्ताक्षर और (मुफ़्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) एससी/एसटी सर्टिफ़िकेट को सीईएन में बताए गए निर्देशों के अनुसार पीडीएफ फ़ॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
प्रश्न 40	अपलोड किए जाने वाले स्कैन किए गए दस्तावेज़ों का आकार कितना होना चाहिए?
उत्तर	अपलोड किए जाने वाले स्कैन किए गए दस्तावेज़ों का आकार निम्नानुसार होना चाहिए— 1. जाति प्रमाणपत्र: पीडीएफ प्रारूप में अधिकतम 400 केबी। 2. हस्ताक्षर: हस्ताक्षर का रिज़ॉल्यूशन कम से कम 100 डीपीआई होना चाहिए; डाइमेंशन: कम से कम 140 पिक्सल (चौड़ाई) × 60 पिक्सल (ऊंचाई); साइज़: 30 कीबी से 49 केबी; फ़ॉर्मेट: जेपीजी/जेपीईजी। स्कैन किए गए हस्ताक्षर को आवेदन फ़ॉर्म पर दिए गए स्कैन बॉक्स के अंदर ही रखा जाना चाहिए। बॉक्स का साइज़: 50 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊंचाई)। ध्यान रखें कि हस्ताक्षर तय बॉक्स के साइज़ के बीच में हो।
प्रश्न 41	मैंने लैसिक सर्जरी करवाई है। क्या मैं आवेदन करने के लिए पात्र हूँ?
उत्तर	जिन अभ्यर्थियों ने लैसिक सर्जरी अथवा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसी अन्य प्रकार की शल्य प्रक्रिया करवाई है, वे उन पदों के लिए पात्र नहीं हैं जिनके लिए ए2 चिकित्सा मानक आवश्यक है। कृपया पैरा 6.0, टिप्पणी (b) का संदर्भ लें।
प्रश्न 42	यदि मेरे पास आधार नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर	अभ्यर्थियों को अपने हित में 'खाता बनाए' चरण के दौरान डीजीलॉकर अथवा आधार के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाणीकरण कराने की सलाह दी जाती है। यदि यह चरण छूट गया हो, तो वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय 'वेरीफाई आधार' सुविधा का उपयोग करके अपने आधार विवरण के माध्यम से पहचान का प्रमाणीकरण कर सकते हैं। यह प्रक्रिया संबंधित सीईएन के लिए आवेदन अंतिम रूप से जमा करने से पहले पूरी करना अनिवार्य है।
प्रश्न 43	क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता/सकती हूँ?
उत्तर	हाँ। उम्मीदवारों को सबसे पहले पुराने पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पेज के ऊपरी दाहिने हिस्से में मौजूद 'चेंज पासवर्ड' ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं।
प्रश्न 44	क्या मैं अपना 'चुने हुए 'आरआरबी' को बदल सकता/सकती हूँ?
उत्तर	आवेदन जमा करने के बाद आप अपना चुने हुए 'आरआरबी ' नहीं बदल सकते।
प्रश्न 45	क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	हाँ। 'खाता बनाने के दौरान दर्ज किए गए विवरणों को छोड़कर, आवेदन में भरे गए अन्य सभी विवरण आवेदन जमा होने तथा पंजीकरण संख्या उत्पन्न होने तक संशोधित किए जा सकते हैं।
प्रश्न 46	क्या ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, लेकिन शुल्क का भुगतान करने से पहले, मैं अपने आवेदन विवरण में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?

उत्तर	नहीं, आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार जानकारी में बदलाव नहीं कर सकते। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 'प्राथमिकताएँ' और 'पूर्वावलोकन एवं जमा करें' पेज पर आवेदन प्रीव्यू में भरी गई जानकारी को अच्छी तरह से जांच लें और अगर सब कुछ सही है, तभी आवेदन जमा करें, क्योंकि पेमेंट के लिए आवेदन जमा करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर आवेदन प्रीव्यू में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो वे 'एडिट' बटन पर क्लिक करके आवेदन मॉड्यूल के संबंधित पेज पर गलत जानकारी को ठीक कर सकते हैं, फिर दोबारा आवेदन का प्रीव्यू करके उसे जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद, ज़रूरी परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें। अगर कोई उम्मीदवार 'क्रिएट एन अकाउंट' फ़ॉर्म (12 जानकारी और चुने गए आरआरबी) में भरी गई जानकारी के अलावा किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार करना चाहता है, तो वे 28-11-2026 से 07-12-2026 तक चलने वाली संशोधन विंडो के दौरान हर बार ₹250/- (गैर-वापसी योग्य) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।
प्रश्न 47	मेरे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि, आधार या किसी अन्य पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि से अलग है। मुझे आवेदन में कौन सी जन्मतिथि दर्ज करनी चाहिए?
उत्तर	आवेदन जमा करने से पहले आधार या अन्य पहचान पत्रों में दर्ज जन्मतिथि को सही करवाना आवश्यक है। हालांकि, आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र के अनुसार जन्मतिथि ही दर्ज की जानी चाहिए।
प्रश्न 48	क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	हाँ। 'खाता बनाने के दौरान दर्ज किए गए विवरणों को छोड़कर, आवेदन में दर्ज अन्य सभी विवरण आवेदन जमा तथा पंजीकरण संख्या उत्पन्न होने तक संशोधित किए जा सकते हैं।
प्रश्न 49	मैंने आवेदन में अपनी समुदाय/जाति गलत दर्ज कर दी है। क्या आवेदन जमा करने के बाद मैं अपनी श्रेणी/जाति में संशोधन कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	हाँ, तय फ़ीस देकर सिर्फ़ संशोधन विंडो' के दौरान ही जानकारी में बदलाव किया जा सकता है। हालाँकि, 'मॉडिफ़िकेशन विंडो' बंद होने के बाद जानकारी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। दस्तावेज़ सत्यापन प्रोसेस के दौरान आपको ऑनलाइन आवेदन के अनुसार अपनी कम्युनिटी और कास्ट की जानकारी देनी होगी; ऐसा न करने पर, सभी ज़रूरी शर्तों को पूरा करने के बावजूद आपकी उम्मीदवारी को सिर्फ़ 'अनरिज़र्व्ड' (सामान्य) कैटेगरी के तहत माना जाएगा।
प्रश्न 50	'निःशुल्क यात्रा अधिकार पत्र के लिए कौन पात्र हैं?
उत्तर	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को (अनुरोध करने पर) मुफ़्त स्लीपर क्लास रेलवे पास दिया जाएगा। यह पास उन्हें सिलेक्शन के अलग-अलग चरणों (जैसे सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/चिकित्सा परीक्षण) के लिए उनके ई-प्रवेश पत्र के साथ मिलेगा। यह सुविधा पाने के लिए, उन्हें 'पर्सनल डिटेल्स' पेज के 'कम्युनिटी' सेक्शन में जाना होगा और 'क्या आप परीक्षा के लिए मुफ़्त रेल यात्रा पास लेना चाहते हैं' वाले ड्रॉप-डाउन से 'हाँ' चुनना होगा और 'नज़दीकी रेलवे स्टेशन' की जानकारी भरनी होगी। सिर्फ़ वही उम्मीदवार जो मुफ़्त रेल यात्रा पास लेना चाहते हैं, उनसे ही अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।
प्रश्न 51	मैं 'निःशुल्क यात्रा अधिकार पत्र अर्थात् निःशुल्क रेलवे पास का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?
उत्तर	ट्रेन में आरक्षण करवाते समय तथा यात्रा के दौरान, उम्मीदवार को अपनी पहचान के सत्यापन हेतु अधिकृत रेलवे कर्मचारी के समक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का मूल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग किए जाने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है तथा भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है।
प्रश्न 52	मैं अपना जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ।
उत्तर	जाँच करें कि स्कैन किया गया दस्तावेज़ पीडीएफ प्रारूप में है तथा उसका आकार 400 केबी तक है।
प्रश्न 53	शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्णायक तिथि क्या है? क्या जिन उम्मीदवारों का परिणाम 25/11/2026 के बाद आने की संभावना है, वे आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर	अभ्यर्थियों (मौजूदा/नए) के पास अपनी निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता आवेदन जमा करने की विंडो अवधि की अंतिम तिथि अर्थात 25/11/2026 को या उससे पहले होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 54	ईबीसी क्या है?
उत्तर	ईबीसी का अर्थ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। ऐसे उम्मीदवार, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹50, 000 से कम है, ईबीसी श्रेणी में आते हैं। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से भ्रमित नहीं करना चाहिए।
प्रश्न 55	ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं? क्या ईबीसी उम्मीदवार आरक्षण के लाभ के पात्र हैं?
उत्तर	ईबीसी उम्मीदवारों को केवल शुल्क में रियायत प्रदान की जाती है। वे आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 56	यदि कोई उम्मीदवार ईबीसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो क्या होगा?
उत्तर	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत छूट का दावा करने से पहले कृपया इस सीईएन के पैराग्राफ 10.2 को ध्यान से पढ़ें। रियायती शुल्क चाहने वाले उम्मीदवार के पास आवेदन भरते समय एक वैध दस्तावेज़ होना चाहिए - जैसे ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IV) या बीपीएल कार्ड या इज़्ज़त MST या केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई प्रमाण पत्र। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित विवरण दर्ज करना होगा और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय उन्हें मूल रूप में जमा करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि, यानी 25.11.2026 के बाद जारी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IV), बीपीएल कार्ड, या इज़्ज़त MST या केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस सीईएन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले जारी वैध दस्तावेज़ - यानी ईबीसी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक IV), बीपीएल कार्ड, या इज़्ज़त MST - प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
प्रश्न 57	अल्पसंख्यकों के अंतर्गत कौन-कौन शामिल हैं?
उत्तर	अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा ज़ोरास्ट्रियन (पारसी) समुदाय शामिल हैं, जिन्हें उम्मीदवार के संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया हो। यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक लागू किसी भी समावेशन, विलोपन या संशोधन के अधीन होगा।
प्रश्न 58	अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को कौन-कौन से लाभ दिए जाते हैं? यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो क्या होगा?
उत्तर	अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल शुल्क में छूट प्रदान की जाती है और वे आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होते हैं। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो सीईएन के Annexure-V के अनुसार होना चाहिए और उसमें उनके अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख होना चाहिए। यदि उम्मीदवार ऐसा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।
प्रश्न 59	क्या सीबीएटी परीक्षा के दौरान कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है?
उत्तर	हाँ, सीबीएटी में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सीईएन 08/2026 के Annexure-VI के अनुसार विज़न सर्टिफ़िकेट जमा करना होगा। वैध विज़न सर्टिफ़िकेट जमा किए बिना उम्मीदवारों को सीबीएटी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व-सैनिकों के लिए, Annexure-VI A के अनुसार विज़न सर्टिफ़िकेट जमा करना होगा। कृपया सीईएन 08/2026 के पैरा 6 को देखें।
प्रश्न 60	सीबीटी का पाठ्यक्रम क्या है?
उत्तर	कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 15.1 में दिए गए सीबीटी पाठ्यक्रम का संदर्भ लें।
प्रश्न 61	'परीक्षा शुल्क वापसी के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर	सिर्फ़ सीबीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवार ही "परीक्षा शुल्क की वापसी" (बैंक चार्ज काटकर) के लिए पात्र हैं। विस्तृत सीईएन -08/2026 के पैरा 10.3 को देखें। गलत, अधूरे या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ध्यान दें: बदलाव के लिए लगने वाली फ़ीस (मॉडिफ़िकेशन फ़ीस) वापस नहीं की जाएगी।
प्रश्न 62	क्या नकारात्मक अंकन होगा?
उत्तर	हाँ। सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 (एक-तिहाई) अंक की नकारात्मक अंकन होगी।
प्रश्न 63	मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन कहाँ करना होगा?
उत्तर	उम्मीदवार पर्सनल डिटेल्स' पृष्ठ पर उपलब्ध ड्रॉप-डाउन सूची में से 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। सीबीटी के प्रश्न उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा तथा अंग्रेज़ी में प्रदर्शित किए जाएँगे।
प्रश्न 64	आवेदन पंजीकरण संख्या का क्या उपयोग है?
उत्तर	उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपने जमा किए गए आवेदन का पंजीकरण संख्या नोट कर लें और याद रखें। पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों और आरआरबी के साथ बातचीत के लिए किया जाएगा। विस्तृत सीईएन 08/2026 के पैरा 18 b (iv) को देखें।
प्रश्न 65	आवेदन अस्वीकृत होने के संभावित कारण क्या हैं?
उत्तर	कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 20 को देखें।
प्रश्न 66	"सेल्फ़-स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन" क्या है और मुझे मेडिकल सर्टिफ़िकेट कब जमा करना होगा?
उत्तर	आवेदन के चरण में स्व-चिकित्सीय जांच घोषणा को शामिल किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी को बोलने, सुनने, दृष्टि (जिसमें लैसिक सर्जरी न होना शामिल है), मानसिक स्वास्थ्य, पहले से मौजूद चिकित्सीय स्थितियों (जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप) तथा मन: प्रभावी पदार्थों के उपयोग से संबंधित निर्धारित न्यूनतम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप होने की घोषणा करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन में स्व-स्क्रीनिंग के लिए अंतर्निहित सत्यापन की सुविधा होगी, जिससे अभ्यर्थी पद के लिए अपनी पात्रता/अपात्रता का आकलन कर सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर एक डाउनलोड करने योग्य चिकित्सीय रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी को सीबीएटी के दिन सामान्य चिकित्सक और नेत्र विशेषज्ञ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करवाकर जमा करना होगा। यह प्रमाण-पत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब इसे किसी केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अस्पताल या मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी किया गया हो।
प्रश्न 67	आवेदन जमा करने से जुड़े सवालों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
उत्तर	उम्मीदवारों के लिए सहायता-सेवा: सीईएन का आवेदन जमा करने से जुड़े किसी भी सवाल के लिए ई-मेल: rrb.help@csc.gov.in दूरभाष: 9592001188/01725653333 (सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक)
प्रश्न 68	क्या मैं सीबीटी, सीबीएटी या परीक्षा के किसी भी बाद के चरण के लिए परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख बदल सकता हूँ?
उत्तर	अलॉट किया गया परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख़ फ़ाइनल होती है और किसी भी स्थिति में उन्हें बदला नहीं जा सकता। परीक्षा केंद्र या परीक्षा की तारीख़ बदलने के संबंध में उम्मीदवारों की किसी भी अपील या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।